न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2024
(GCMS 2024/149)(212585098771856)

श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी वार्ड नं 04, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 78788–23289)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

23.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चन्द्र प्रकाश स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी चन्द्र प्रकाश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> धाणका अनुसूचित जनजाति के सम्पूर्ण विभागीय दिशा निर्देश तथा गंगानगर जिले में धाणका जनजाति के निवास नहीं करने के कारण और उनके प्रमाण उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2024–25/146 दिनांक 20.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रथम अपीलकर्त्ता अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर है।

-sd-
(श्योराम, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" की अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:09 IST
Reason: SelfAttested